

मुख्य लेख

छत्तीसगढ़ में कृषि यंत्रीकरण का वर्तमान परिदृश्य एवं कस्टम हायरिंग प्रणाली : किसानों के लिए वरदान

डॉ. पीयूष प्रधान¹ एवं डॉ. आर. के. महोबिया²

¹सहायक प्राध्यापक, फार्म मशीनरी एवं शक्ति अभियांत्रिकी

²सह प्राध्यापक (शस्य विज्ञान)

कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, कुरुद्र, जिला-धमतरी (छत्तीसगढ़)

आधुनिक
तकनीक
समृद्ध किसान

छत्तीसगढ़
की कृषि
अब और
सशक्त



कस्टम हायरिंग
केंद्र
किसानों की सेवा में



किफायती
कृषि यंत्र सेवा



छोटे एवं सीमांत
किसानों के लिए वरदान



उत्पादन में वृद्धि
लागत में कमी



रोजगार के
नए अवसर



आत्मनिर्भर
छत्तीसगढ़, समृद्ध भारत

किसान की प्रगति
देश की समृद्धि

छत्तीसगढ़ में कृषि यंत्रीकरण का वर्तमान परिदृश्य एवं कस्टम हायरिंग प्रणाली : किसानों के लिए वरदान

डॉ. पीयूष प्रधान¹ एवं डॉ. आर. के. महोबिया²

¹सहायक प्राध्यापक, फार्म मशीनरी एवं शक्ति अभियांत्रिकी

²सह प्राध्यापक (शस्य विज्ञान)

कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र, कुरूद, जिला-धमतरी (छत्तीसगढ़)

Email-piyushpradhanagri@gmail.com

सारांश

कृषि यंत्रीकरण आधुनिक कृषि विकास का एक महत्वपूर्ण आधार है, किंतु भारत एवं विशेष रूप से छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में अधिकांश कृषक छोटे एवं सीमांत वर्ग से संबंधित हैं। सीमित भूमि जोत, कृषि यंत्रों की ऊँची कीमत तथा पूंजी निवेश की कमी के कारण प्रत्येक किसान के लिए आधुनिक कृषि यंत्र खरीदना संभव नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में **कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Centre-CHC)** किसानों को आवश्यक कृषि यंत्र किराये पर उपलब्ध कराकर कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने का प्रभावी माध्यम बनकर उभरा है। यह प्रणाली किसानों को ट्रैक्टर, रोटोवेटर, सीड-कम-फर्टिलाइजर ड्रिल, रीपर, पैडी ट्रांसप्लान्टर, हैप्पी सीडर, पावर वीडर, मल्चर, स्ट्रॉ रीपर, ड्रोन स्प्रेयर तथा अन्य आधुनिक कृषि यंत्र आवश्यकता अनुसार किराये पर उपलब्ध कराती है। इससे कृषि कार्य समय पर सम्पन्न होते हैं, उत्पादन लागत घटती है तथा कृषि लाभप्रद बनती है। वर्तमान में देशभर में हजारों कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं तथा कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से इनका विस्तार किया जा रहा है।

परिचय

छत्तीसगढ़ को "धान का कटोरा" कहा जाता है क्योंकि राज्य की अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। यहाँ लगभग 80 प्रतिशत से अधिक कृषक छोटे एवं सीमांत श्रेणी के हैं, जिनकी जोत का आकार सामान्यतः 1 से 2 हेक्टेयर या उससे भी कम है। ऐसी परिस्थितियों में आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद अधिकांश किसानों के लिए आर्थिक रूप से संभव नहीं होती। दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि श्रमिकों की उपलब्धता में कमी, मजदूरी दरों में निरंतर वृद्धि तथा कृषि कार्यों को समय पर पूरा करने की आवश्यकता ने कृषि यंत्रीकरण के महत्व को और अधिक बढ़ा दिया है।

पिछले एक दशक में छत्तीसगढ़ में कृषि यंत्रीकरण का स्तर निरंतर बढ़ा है। ट्रैक्टर, पावर टिलर, रीपर, थ्रेशर, रोटोवेटर, जीरो टिल सीड ड्रिल, मल्चर तथा कृषि ड्रोन जैसे आधुनिक उपकरणों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। परंतु इन उपकरणों की कीमत लाखों रुपये होने के कारण अधिकांश किसान इन्हें व्यक्तिगत रूप से खरीदने में सक्षम नहीं हैं। परिणामस्वरूप अनेक महंगे कृषि यंत्र पूरे वर्ष में सीमित समय तक ही उपयोग में आते हैं, जिससे उनकी आर्थिक उपयोगिता कम हो जाती है।

इसी समस्या के समाधान के रूप में **कस्टम हायरिंग प्रणाली** विकसित की गई है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कृषि यंत्रों का स्वामित्व किसी संस्था, किसान समूह, किसान उत्पादक संगठन (FPO), स्वयं सहायता समूह (SHG), सहकारी समिति, निजी उद्यमी अथवा कृषि महाविद्यालय के पास होता है, जबकि किसान आवश्यकता अनुसार निर्धारित किराया देकर इन यंत्रों का उपयोग करते हैं। यह प्रणाली "स्वामित्व के स्थान पर उपयोग" (Ownership to Access) की अवधारणा पर आधारित है और सीमित संसाधनों वाले किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रही है।

कस्टम हायरिंग प्रणाली की अवधारणा

कस्टम हायरिंग सेंटर वह स्थान है जहाँ विभिन्न कृषि यंत्रों एवं मशीनों को एक संगठित व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को किराये पर उपलब्ध कराया जाता है। किसान अपने खेत के आकार, फसल एवं कृषि कार्य के अनुसार आवश्यक यंत्र का चयन करता है और निर्धारित समय के लिए किराये पर प्राप्त करता है। कार्य पूर्ण होने के बाद यंत्र पुनः केंद्र को लौटा दिया जाता है।

इस प्रणाली का मूल उद्देश्य कृषि यंत्रीकरण को प्रत्येक किसान तक पहुँचाना है, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति या भूमि जोत कितनी भी छोटी क्यों न हो। आज यह व्यवस्था कृषि यंत्रीकरण की सबसे सफल अवधारणाओं में से एक मानी जाती है क्योंकि इससे महंगे कृषि यंत्रों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होता है तथा उनकी निष्क्रियता कम होती है।

भारत सरकार द्वारा कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटरों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के आँकड़ों के अनुसार देशभर में हजारों कस्टम हायरिंग सेंटर एवं फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जा चुके हैं, जिससे लाखों किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की सुविधा उपलब्ध हो रही है।

छत्तीसगढ़ में कस्टम हायरिंग प्रणाली की आवश्यकता

छत्तीसगढ़ की कृषि मुख्यतः धान आधारित है। खरीफ मौसम में सीमित समय के भीतर जुताई, बुवाई, रोपाई तथा कटाई जैसे कार्य पूरे करना अत्यंत आवश्यक होता है। यदि इन कार्यों में विलंब होता है तो उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

राज्य के अधिकांश किसानों के पास आधुनिक कृषि यंत्र खरीदने के लिए पर्याप्त पूंजी उपलब्ध नहीं होती। उदाहरण के लिए एक मध्यम क्षमता का ट्रैक्टर, रोटोवेटर, पैडी ट्रांसप्लान्टर, रीपर या कृषि ड्रोन खरीदने में लाखों रुपये का निवेश करना पड़ता है। छोटे किसान वर्ष में केवल कुछ दिनों के उपयोग के लिए इतना बड़ा निवेश नहीं कर सकते। यही कारण है कि कस्टम हायरिंग सेंटर उनके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं।

वर्तमान समय में धान की सीधी बुवाई (DSR), यंत्रीकृत रोपाई, मल्टिपलिंग, सटीक बीजारोपण तथा ड्रोन आधारित छिड़काव जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग बढ़ रहा है। इन सभी कार्यों के लिए विशेष कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है, जिन्हें व्यक्तिगत रूप से खरीदना अधिकांश किसानों के लिए संभव नहीं है। कस्टम हायरिंग प्रणाली इन आधुनिक तकनीकों को गाँव-गाँव तक पहुँचाने का माध्यम बन रही है।

कस्टम हायरिंग सेंटर में उपलब्ध प्रमुख कृषि यंत्र

एक आदर्श कस्टम हायरिंग सेंटर में विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र उपलब्ध होते हैं, ताकि किसान को खेती के प्रत्येक चरण के लिए आवश्यक मशीन एक ही स्थान पर मिल सके। सामान्यतः ऐसे केंद्रों में निम्नलिखित यंत्र उपलब्ध रहते हैं—

- | | | |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| • ट्रैक्टर (35–60 HP) | • जीरो टिल सीड-कम- | • थ्रेशर |
| • पावर टिलर | फर्टिलाइजर ड्रिल | • पावर स्प्रेयर |
| • रोटोवेटर | • मल्टीक्रॉप प्लांटर | • कृषि ड्रोन |
| • कल्टीवेटर | • पैडी ट्रांसप्लांटर | • धान रोपण एवं कटाई |
| • डिस्क हैरो | • पावर वीडर | से संबंधित विशेष यंत्र |
| • एम.बी. प्लाऊ | • रीपर एवं रीपर-कम- | • स्ट्रॉ रीपर |
| • लेजर लैंड लेवलर | बाइंडर | • बेलर |
| • मलचर | | |

इन यंत्रों की उपलब्धता के कारण किसान जुताई से लेकर कटाई एवं फसल अवशेष प्रबंधन तक सभी कृषि कार्य समय पर कर सकता है।

किसानों को होने वाले प्रमुख लाभ

- कस्टम हायरिंग प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ यह है कि किसान को लाखों रुपये का निवेश किए बिना आधुनिक कृषि यंत्रों की सुविधा प्राप्त हो जाती है। इससे कृषि उत्पादन लागत कम होती है तथा मशीनों का उपयोग उनकी वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किया जा सकता है।
- समय पर जुताई, बुवाई एवं कटाई होने से फसल की उत्पादकता में वृद्धि होती है। कृषि कार्यों में श्रम की आवश्यकता कम हो जाती है तथा मजदूरी पर होने वाला खर्च भी घटता है। इसके अतिरिक्त आधुनिक यंत्रों के उपयोग से बीज, उर्वरक एवं ईंधन की बचत होती है तथा कार्य की गुणवत्ता में सुधार होता है।
- कस्टम हायरिंग प्रणाली ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार एवं स्वरोजगार का भी महत्वपूर्ण माध्यम बन रही है। अनेक युवा स्वयं कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित कर कृषि सेवा प्रदाता (Custom Hiring Service Provider) के रूप में कार्य कर रहे हैं। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल रही है।

छत्तीसगढ़ में कस्टम हायरिंग सेंटर (CHC) की वर्तमान स्थिति एवं संचालन मॉडल

वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर (Custom Hiring Centre-CHC) एक प्रभावी मॉडल के रूप में विकसित हो रहे हैं। राज्य में अधिकांश किसान छोटे एवं सीमांत श्रेणी के हैं, जिनके लिए ट्रैक्टर, पैडी ट्रांसप्लान्टर, कंबाइन हार्वेस्टर, कृषि ड्रोन, पावर वीडर तथा अन्य आधुनिक कृषि यंत्र खरीदना आर्थिक रूप से कठिन है। इस समस्या के समाधान के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के माध्यम से कस्टम हायरिंग सेंटरों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

भारत सरकार की **Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM)** योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत उद्यमियों, किसान उत्पादक संगठनों (FPO), स्वयं सहायता समूहों (SHG), सहकारी समितियों तथा कृषि स्नातकों को कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार कर ऑनलाइन आवेदन करते हैं। आवेदन स्वीकृत होने के पश्चात मशीनों की खरीद की जाती है तथा विभागीय सत्यापन के बाद अनुदान की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते अथवा बैंक ऋण खाते में हस्तांतरित की जाती है।

CHC स्थापित करने की सामान्य प्रक्रिया

कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए सबसे पहले इच्छुक व्यक्ति या संस्था को कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीयन करना होता है। इसके बाद प्रस्तावित कृषि यंत्रों, परियोजना लागत, स्थान एवं व्यवसाय योजना सहित परियोजना प्रस्तुत की जाती है। स्वीकृति मिलने के बाद लाभार्थी मशीनों की खरीद करता है। मशीनों का भौतिक सत्यापन होने के पश्चात अनुदान स्वीकृत किया जाता है। यदि परियोजना बैंक ऋण आधारित (Credit Linked) है, तो अनुदान राशि ऋण खाते में समायोजित की जाती है।

सब्सिडी एवं बैंक ऋण (Loan) व्यवस्था

कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लिए सामान्यतः परियोजना लागत का एक भाग लाभार्थी स्वयं वहन करता है, जबकि शेष राशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र परियोजनाओं पर परियोजना लागत का **40 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता** उपलब्ध कराई जाती है (निर्धारित सीमा एवं पात्रता के अनुसार)। उदाहरण के लिए यदि कोई उद्यमी ₹25 लाख का कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करना चाहता है, तो उसे परियोजना के अनुसार निर्धारित प्रतिशत तक अनुदान प्राप्त हो सकता है तथा शेष राशि बैंक ऋण एवं स्वयं की पूंजी से जुटाई जा सकती है। इस प्रकार सीमित पूंजी वाले कृषि स्नातक एवं युवा उद्यमी भी कृषि सेवा व्यवसाय प्रारंभ कर सकते हैं।

संचालन मॉडल

कस्टम हायरिंग सेंटर का संचालन व्यवसायिक एवं सेवा आधारित मॉडल पर किया जाता है। किसान मोबाइल फोन, ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल एप अथवा सीधे केन्द्र पर जाकर कृषि यंत्र की बुकिंग करता है। निर्धारित समय पर मशीन

चालक सहित या बिना चालक के उपलब्ध कराई जाती है। कार्य पूर्ण होने के बाद किसान उपयोग के आधार पर किराया जमा करता है।

संचालन की दृष्टि से कस्टम हायरिंग सेंटर चार प्रमुख मॉडलों पर कार्य करते हैं—

1. निजी उद्यमी (Private Entrepreneur Model) – व्यक्तिगत निवेश द्वारा संचालित।
2. किसान उत्पादक संगठन (FPO Model) – सदस्य किसानों के लिए सामूहिक सेवा।
3. स्वयं सहायता समूह (SHG Model) – विशेषकर महिला समूहों द्वारा संचालन।
4. सहकारी समिति एवं पंचायत आधारित मॉडल – ग्रामीण स्तर पर सामुदायिक सेवा।

किराया निर्धारण एवं आर्थिक विश्लेषण

कस्टम हायरिंग सेंटर की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण आधार वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक किराया निर्धारण है। मशीन का किराया केवल ईंधन लागत के आधार पर निर्धारित नहीं किया जाता, बल्कि इसमें मशीन की खरीद लागत, मूल्यहास (Depreciation), ब्याज, बीमा, मरम्मत एवं रखरखाव, चालक का वेतन, ईंधन, परिवहन तथा लाभांश को भी सम्मिलित किया जाता है।

सामान्यतः मशीन का किराया तीन प्रकार से निर्धारित किया जाता है—

1. प्रति घंटा (₹/घंटा)
2. प्रति एकड़ अथवा प्रति हेक्टेयर
3. प्रति कार्य (जैसे प्रति एकड़ धान रोपाई या प्रति एकड़ ड्रोन स्प्रे)

उदाहरण के लिए यदि किसी 50 HP ट्रैक्टर एवं रोटोवेटर की कुल लागत ₹12 लाख है तथा उसका वार्षिक उपयोग लगभग 700 घंटे है, तो प्रति घंटे की लागत ज्ञात करने के लिए स्थिर लागत (मूल्यहास, ब्याज, बीमा) तथा परिवर्ती लागत (ईंधन, चालक, मरम्मत एवं स्नेहक) का योग किया जाता है। इसके पश्चात 10-20 प्रतिशत तक प्रबंधन एवं लाभांश जोड़कर अंतिम किराया निर्धारित किया जाता है।

यदि किसी मशीन का वार्षिक उपयोग अधिक होता है तो प्रति घंटे की लागत स्वतः कम हो जाती है। यही कारण है कि कस्टम हायरिंग मॉडल व्यक्तिगत स्वामित्व की अपेक्षा अधिक आर्थिक माना जाता है। मशीन पूरे वर्ष विभिन्न किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाती है, जिससे निवेश का बेहतर उपयोग होता है तथा मशीन की लागत अपेक्षाकृत कम समय में वसूल हो जाती है।

छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए यह व्यवस्था अत्यंत लाभकारी है क्योंकि उन्हें केवल वास्तविक उपयोग का भुगतान करना पड़ता है। इससे लाखों रुपये के पूंजी निवेश की आवश्यकता समाप्त हो जाती है तथा कृषि कार्य समय पर सम्पन्न हो जाते हैं।

चुनौतियाँ एवं समाधान

- यद्यपि कस्टम हायरिंग प्रणाली कृषि यंत्रीकरण का प्रभावी माध्यम है, फिर भी इसके सफल संचालन में अनेक चुनौतियाँ सामने आती हैं।
- सबसे बड़ी समस्या व्यस्त कृषि मौसम में मशीनों की सीमित उपलब्धता है। खरीफ मौसम में जुताई, बुवाई एवं रोपाई का समय सीमित होता है, जिसके कारण एक ही समय में अनेक किसान मशीन की मांग करते हैं। कई बार मशीन समय पर उपलब्ध नहीं हो पाती, जिससे कृषि कार्य प्रभावित होते हैं।
- दूसरी प्रमुख समस्या प्रशिक्षित मशीन ऑपरेटरों एवं तकनीशियनों की कमी है। आधुनिक कृषि यंत्रों के संचालन एवं रखरखाव के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन आवश्यक है। उचित रखरखाव के अभाव में मशीनों की कार्यक्षमता एवं जीवनकाल दोनों प्रभावित होते हैं।
- ग्रामीण क्षेत्रों में मशीनों के परिवहन की व्यवस्था भी कई बार चुनौती बन जाती है। छोटे एवं दूरस्थ गाँवों तक मशीन पहुँचाने में अतिरिक्त समय एवं लागत लगती है। इसके अतिरिक्त अनेक किसानों में आधुनिक कृषि यंत्रों के प्रति जागरूकता का अभाव भी देखा जाता है।
- इन समस्याओं के समाधान हेतु प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर पर्याप्त संख्या में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाने चाहिए। मशीनों की ऑनलाइन बुकिंग, GPS आधारित ट्रैकिंग, डिजिटल भुगतान, समयबद्ध सेवा तथा प्रशिक्षित ऑपरेटरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। कृषि स्नातकों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों एवं युवा उद्यमियों को तकनीकी प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता प्रदान कर इस प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

भविष्य की संभावनाएँ

भविष्य में कस्टम हायरिंग सेंटर केवल ट्रैक्टर एवं पारंपरिक कृषि यंत्रों तक सीमित नहीं रहेंगे। कृषि में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), रोबोटिक्स, सटीक कृषि (Precision Agriculture), कृषि ड्रोन तथा स्वचालित मशीनों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। आने वाले वर्षों में कृषि ड्रोन, स्मार्ट स्प्रेयर, रोबोटिक वीडर, सेंसर आधारित उर्वरक वितरण प्रणाली तथा जीपीएस आधारित स्वचालित ट्रैक्टर भी कस्टम हायरिंग केन्द्रों के माध्यम से किसानों को उपलब्ध कराए जा सकते हैं।

छत्तीसगढ़ में धान आधारित कृषि प्रणाली को देखते हुए पैडी ट्रांसप्लान्टर, डायरेक्ट सीडेड राइस (DSR) मशीन, कृषि ड्रोन, मल्वर तथा फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की मांग निरंतर बढ़ने की संभावना है। यदि प्रत्येक विकासखण्ड स्तर पर आधुनिक हार्ड-टेक कस्टम हायरिंग हब स्थापित किए जाएँ, तो राज्य में कृषि यंत्रीकरण की गति और अधिक तेज होगी।

निष्कर्ष

कस्टम हायरिंग सेंटर आधुनिक कृषि यंत्रीकरण की आधारशिला बन चुके हैं। यह प्रणाली छोटे एवं सीमांत किसानों को बिना भारी पूंजी निवेश के आधुनिक कृषि यंत्रों तक पहुँच प्रदान करती है। छत्तीसगढ़ जैसे कृषि प्रधान राज्य में यह मॉडल कृषि लागत कम करने, समय पर कृषि कार्य सम्पन्न कराने, उत्पादकता बढ़ाने तथा किसानों की आय में वृद्धि करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

सरकार, कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों एवं निजी उद्यमियों के समन्वित प्रयासों से कस्टम हायरिंग प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। भविष्य में डिजिटल तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा स्मार्ट कृषि मशीनों के समावेश से यह प्रणाली ग्रामीण कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान करेगी।

संदर्भ

- भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय. **Sub-Mission on Agricultural Mechanization (SMAM)** – कस्टम हायरिंग सेंटर एवं फार्म मशीनरी बैंक संबंधी दिशा-निर्देश।
- **Direct Benefit Transfer in Agricultural Mechanization (DBT Portal)** – कृषि यंत्रीकरण हेतु ऑनलाइन आवेदन, CHC परियोजना एवं अनुदान प्रक्रिया।
- ICAR–Central Institute of Agricultural Engineering (CIAE), भोपाल. कृषि यंत्रीकरण एवं कस्टम हायरिंग सेंटर पर तकनीकी प्रकाशन.
- इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर. कृषि यंत्रीकरण एवं छत्तीसगढ़ में कृषि विकास संबंधी प्रकाशन.
- कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन. कृषि यंत्रीकरण योजनाएँ एवं कस्टम हायरिंग कार्यक्रम.
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार. कृषि यंत्रीकरण एवं कृषि सेवा केन्द्रों से संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन।